



No. 9/7/2011-St. Th. (Vol. IV)

Government of India

Ministry of Power

'F' Wing, Nirman Bhawan,
New Delhi, 22nd February, 2022

To,

- i. CMD/MD of coal/lignite based Thermal Power Plants(Central/State/Private)
- ii. Principal Secretary (Power/Energy) of All States/UTs
- iii. Chairperson, Central Electricity Authority,

Sub: Supply of Ash to the prospective user agencies as stipulated in the MoEF&CC Notification dated 31.12.2021 by the power plants to increase Ash utilization generated by Thermal Power Plants (TPPs).

Sir,

Ministry of Environment, Forest & Climate Change in super-session of the erstwhile Ministry of Environment and Forest Notification S.O. 763(E), dated the 14th September 1999 issued under the Environment (Protection) Act, 1986 has now issued a new Notification S.O. 5481(E) dated 31st December, 2021 on ash utilization from coal or lignite based Thermal Power Plants.

2. As per the relevant clause B(1) of the said Notification dated 31.12.2021 (**copy attached**), thermal power plants may charge for ash cost and transportation, in case the thermal power plant is able to dispose the ash through other means. The provisions of ash free of cost and free transportation is to be applicable; only if the thermal power plant serves a notice on the construction agencies/mine owner for the same.

3. It is pertinent to note that the objective of the Government is to provide **affordable power to consumers**. Any Extra costs without making efforts to monetize disposal of ash by TPPs lead to increase in electricity tariff, which is to be borne by the consumers.

4. Ash is emerging as a valuable commodity and so giving it free, and also meeting the transportation costs will **lead to malpractices**. Therefore, providing such a valuable commodity through bidding process would help in providing the cheaper power to the consumers. In order to maintain transparency and to restrict malpractices, competitive bidding process is the most suitable method to determine the rate of supply of goods and services. Therefore, it is necessary to streamline the procedure to dispose off the ash by TPPs in a transparent manner and also to monetize the sale of ash so as to reduce the tariff burden on the consumers.

5. In view of above, all coal/lignite based TPPs are hereby **advised** to provide Ash to the prospective user agencies for all new commitments for supply of Ash as per following guidelines which have been framed in accordance with MoEF&CC Notification dated 31.12.2021:-

Procedure to be followed to dispose of ash:

5.1 The Power plants shall provide ash to user agencies as stipulated in the MoEF&CC Notification dated 31.12.2021 through a transparent bidding process only.

5.2 If after bidding/ auction, some quantities of ash still remains un-utilized, then only, as one of the options, it could be considered to be given free of cost on first come first serve basis, if the user agency is willing to bear the transportation cost.

5.3 If ash remains un-utilized even after the steps taken in paras 5.1 and 5.2 above, TPP shall bear the cost of transportation of ash to be provided free to the eligible projects/mine owners.

5.4 Even after steps taken in Paras 5.1 to 5.3 above, if the ash remains un-utilized, TPPs shall serve notice on the construction agencies/mine owners located within 300 kms from TPPs to use ash mandatorily in their projects /filling of mine voids.

5.5 The Ash shall be offered to the prospective user agencies as stipulated in the MoEF&CC Notification dated 31.12.2021 on competing demand basis, i.e. user agency who offers the highest price and meets the transportation cost will be offered the ash on priority. This will reduce the tariff of electricity and burden on the consumers. It will also be in accordance with sound vigilance practices.

5.6 The power plant may offer Ash subject to their technical restrictions such as precautions required for Dyke stability and safety etc. The power plants having lower Ash utilization shall make all efforts to increase its Ash Utilization.

5.7 In case, ash is provided free of cost and free transportation; prospective consumers shall be obliged to source the Ash from the nearest TPPs, to reduce the cost of ash transportation. If the nearest TPP refuses to do so, the prospective consumers shall approach Ministry of Power for appropriate directions.

Procedure to be followed for transportation cost to be borne by TPPs:

5.8 The transportation cost wherever required to be borne by the TPPs, shall be discovered on a competitive bidding process basis only. TPPs shall prepare a panel of transportation agencies every year based on competitive bidding for transportation in slabs of 50 Kms, which may be used for the period. The TPPs shall call for bids well in advance, so that the transportation panel is in place as soon as the previous panel expires. There should be no gap between the expiry of existing panel and the finalization of the fresh panel.

5.9 TPPs are advised to invite open bids by keeping a lower bid threshold of minimum 50 tonnes so that even small and medium commercial enterprises can also take part in the bid process.

6. The Appropriate Commission shall scrutinize any expenses regarding ash utilization proposed to be passed through in tariff by the Generation Company in accordance with these guidelines to ensure that the least possible burden is passed on to electricity consumers and full transparency is ensured by Generating Company as envisaged in these Guidelines.

7. **Applicability of this Advisory:** This advisory may be followed by every coal or lignite based TPP (i.e including captive or co-generating stations or both), mentioned at para A(1) of the MOEF&CC notification dated 31.12.2021. Further, it is clarified that above guidelines apply **prospectively**. TPPs are **advised** to honour their existing commitments of selling/ transportation of fly ash on the basis of rates arrived through a transparent competitive bidding/ State Schedule of rates only, till the expiry of their existing commitment. For the remaining quantity and new commitments, both fly ash and pond ash shall invariably be disposed off through a transparent bid process.

8. This letter supersedes the earlier letters issued in this regard vide File No 9/7/2011-S.Th (Vol. IV) dated 22.09.2021 and File No 9/7/2011-S.Th(Vol. IV) dated 08.11.2021.

9. All concerned are requested to take necessary action in this regard.

10. This issues with the approval of Hon'ble Minister for Power, New & Renewable Energy.

Enclosed: As above



(Aravind Kumar)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Tel: 2371 4367

Copy to:

- i. Secretary (MoEF&CC), Government of India
- ii. Secretary (MoRTH), Government of India
- iii. Secretary (MoHUA), Government of India
- iv. All Chief Secretaries of States/ Union Territories
- v. Secretary, CERC
- vi. Secretaries of all SERCs/JERCs

Copy for kind information to:

PS to MoP& NRE, PS to MoSP, Sr PPS to Secretary (Power), All Additional Secretaries/Joint Secretaries/E.A./CE(Thermal), Directors/DS, MoP



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232336
CG-DL-E-01012022-232336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5075]
No. 5075]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2021/पौष 10, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021/PAUSHA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5481(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 द्वारा कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर के विनिर्दिष्ट व्यास के भीतर ईंटों के विनिर्माण के लिए उपजाऊ मिट्टी के उत्खनन को प्रतिबंधित करने के लिए और भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण में और संनिर्माण क्रियाकलाप में फ्लाई-राख के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निदेश जारी किए हैं;

और, प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत (पीपीपी) के आधार पर, ऐसा करके कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई-राख का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करते हुए और फ्लाई-राख प्रबंधन प्रणाली की संधारणीयता के लिए पूर्वोक्त अधिसूचना को और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु, केन्द्रीय सरकार ने मौजूदा अधिसूचना की समीक्षा की;

और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय प्रतिकर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है;

और, विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा निर्माण कार्य के क्षेत्र में राख आधारित उत्पादों तथा भवन निर्माण सामग्रियों के प्रयोग को अनिवार्य करके उपजाऊ मिट्टी को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, सड़क बनाने, सड़क एवं फ्लाई ओवर के रेलिंग बनाने, तटरेखा की सुरक्षा का उपाय करने, अनुमोदित परियोजनाओं के निचले क्षेत्रों को भरने, खनित स्थलों को फिर से भरने में मिट्टी की सामग्रियों से भरने के विकल्प के रूप में राख उपयोग को बढ़ावा देकर उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है;

और, पर्यावरण को सुरक्षित करना तथा कोयला अथवा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई राख के निक्षेपण तथा निपटान की रोकथाम करना आवश्यक है;

और, उक्त अधिसूचना में जो 'राख' शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित फ्लाई-राख और बॉटम-राख दोनों शामिल हैं;

और, केंद्रीय सरकार प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के आधार पर, पर्यावरणीय प्रतिकर की प्रणाली सहित राख के उपयोग के लिए एक व्यापक ढांचा लाना चाहती है;

अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना जो का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित का अधिक्रमण करते हुए, कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख के उपयोग के संबंध में प्रारूप अधिसूचना जो सा.का.नि. 285 (अ) तारीख 22 अप्रैल, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा 3, उप धारा (i) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना सामान्य है उस तारीख से, जिसको उक्त प्रारूप उपबंधों की शासकीय राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार कोयलों या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से राख के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती है, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, अर्थात्

क. फ्लाई-राख और बॉटम-राख का निपटान करने हेतु ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के उत्तरदायित्व.-

(1) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र (जिनमें कैप्टिव और/या सह-उत्पादन केंद्र शामिल हैं या दोनों) की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा सृजित राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) का उप पैरा (2) में दिए गए पारि-अनुकूल तरीके से 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करे;

(2) कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से सृजित राख का उपयोग केवल निम्नलिखित पारि-अनुकूल प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) फ्लाई राख पर आधारित उत्पाद अर्थात्: ईट ब्लॉक टाइल, फाइबर सीमेंट शीट, पाइप, बोर्ड, पैनल का विनिर्माण;
- (ii) सीमेंट विनिर्माण, रेडी-मिक्स कंक्रीट;

- (iii) सड़क निर्माण और फ्लाई-ओवर के रेलिंग का निर्माण, राख और जिओ-पॉलीमर आधारित निर्माण सामग्री;
 - (iv) बांध का निर्माण;
 - (v) निचले क्षेत्र को भरना;
 - (vi) खनन कार्य से रिक्त हुए स्थान को भरना;
 - (vii) सिंटेड या शीत-बद्ध राख संचय का विनिर्माण;
 - (viii) मृदा परीक्षण के आधार पर नियंत्रित तरीके से कृषि;
 - (ix) तटीय जिलों में तटरेखा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण;
 - (x) अन्य देशों को राख का निर्यात;
 - (xi) समय-समय पर यथाधिसूचित किसी अन्य पारि-अनुकूल प्रयोजन के लिए।
- (3) अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, सड़क कांग्रेस संस्थान तथा राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसका प्रयोजन राख के उपयोग के पारि-अनुकूल तौर-तरीकों की जांच करना, उनकी समीक्षा एवं अनुशंसा करना तथा प्रौद्योगिकीय विकासों तथा पणधारी से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर उप-पैरा (2) में यथोल्लिखित ऐसे तौर-तरीकों की सूची में समिति द्वारा सुझाए गए तौर-तरीकों को शामिल करना या किसी तौर-तरीके को सूची से हटाना या उसमें संशोधन करना है। जब भी इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, यह समिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, ताप विद्युत संयंत्र और खानों के प्रचालकों को आमंत्रित कर सकती है। इस समिति सिफारिश के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसे पारि-अनुकूल प्रयोजन प्रकाशित करेगा।
- (4) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र उस वर्ष के दौरान सृजित राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) का 100 प्रतिशत उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होगा; तथापि, किसी भी स्थिति में, किसी वर्ष में राख का उपयोग 80 प्रतिशत से नीचे नहीं होगा और साथ ही, उस ताप विद्युत संयंत्र को तीन वर्ष की अवधि में 100 प्रतिशत औसत राख के उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करना होगा :

परंतु, यह और कि पहली बार के लिए लागू तीन वर्ष के चक्र को ऐसे ताप विद्युत संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60-80 प्रतिशत के बीच होता है, एक वर्ष के लिए और ऐसे संयंत्रों, जहां राख का उपयोग 60 प्रतिशत से कम है, दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और राख के उपयोग की प्रतिशतता की गणना के प्रयोजन के लिए वर्ष 2021-2022 में उपयोग की प्रतिशत प्रमाणा को नीचे दी गई तालिका के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा:

तापीय विद्युत संयंत्रों के उपयोग की प्रतिशतता	100 प्रतिशत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रथम अनुपालन चक्र	100 प्रतिशत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए द्वितीय अनुपालन चक्र
>80 प्रतिशत	3 वर्ष	3 वर्ष
60-80 प्रतिशत	4 वर्ष	3 वर्ष
<60 प्रतिशत	5 वर्ष	3 वर्ष

परन्तु, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 80 प्रतिशत न्यूनतम उपयोग प्रतिशतता, क्रमशः 60-80 प्रतिशत और <60 प्रतिशत की उपयोगिता की श्रेणी के तहत आने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रथम अनुपालन चक्र के पहले वर्ष और पहले दो वर्षों पर लागू नहीं होगी।

परन्तु, अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष में सृजित 20 प्रतिशत राख को अगले चक्र में भी ले जाया जाएगा जिसका उपयोग उस अनुपालन चक्र के दौरान सृजित राख के साथ अगले तीन वर्षों में किया जाएगा।

- (5) अप्रयुक्त संचित राख अर्थात् लीगेसी राख, जिसका इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले भंडारण किया गया है, को ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) द्वारा इस रीति से क्रमिक रूप से उपयोग में लाया जाएगा, कि लीगेसी राख को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दस वर्षों के भीतर पूरी तरह उपयोग कर लिया जाएगा और यह उस विशिष्ट वर्ष के चालू संचालनों के माध्यम से राख उत्सर्जन के लिए निर्धारित उपयोग लक्ष्यों से अतिरिक्त होगा।

परन्तु, निम्नलिखित प्रतिशतताओं में यथा उल्लिखित लीगेसी राख की न्यूनतम मात्रा का उपयोग तास्थानी वर्ष के दौरान कर लिया जाएगा और लीगेसी राख की न्यूनतम मात्रा की ताप विद्युत संयंत्र की संस्थापित क्षमता के अनुसार वार्षिक राख उत्सर्जन के आधार पर की जानी है।

प्रकाशन की तिथि से वर्ष	पहला	दूसरा	तीसरा-दसवां
लीगेसी राख का उपयोग (वार्षिक राख की प्रतिशतता)	कम से कम 20 प्रतिशत	कम से कम 35 प्रतिशत	कम से कम 50 प्रतिशत

परन्तु, यह और कि लीगेसी राख का उपयोग वहां अपेक्षित नहीं है, जहां राख के तालाब या डाइक स्थिर हो गए हैं और हरित पट्टी के निर्माण या पौध रोपण से पुनरुद्धार किया गया है और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में प्रमाणित करेगा। किसी राख तालाब या डाइक के स्थिरीकरण और भूमि-उद्धार का कार्य, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणन शामिल है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। अन्य सभी राख के कुंड या डाइक में शेष बचे राख का उपयोग ऊपर उल्लिखित समय-सीमाओं के अनुसार क्रमिक रूप से किया जाएगा।

टिप्पण: राख के उपयोग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उप पैरा (4) और (5) के अधीन दायित्व 01 अप्रैल, 2022 की तारीख से लागू होंगे।

- (6) किसी भी नए तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) में 0.1 हेक्टेयर प्रति मेगावाट (एमडब्ल्यू) क्षेत्रफल के साथ आपातकालीन या अस्थायी राख कुंड की अनुमति दी जा सकती है। राख के तालाब या डाइकों का तकनीकी विनिर्देश, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा और ये दिशानिर्देश राख के कुंड या डाइक के संबंध में इसकी सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण, उपलब्ध प्रमात्रा, निपटान का तरीका, निपटान में जल की खपत या संरक्षण, राख जल पुनर्चक्रण और ग्रीन बेल्ट आदि के वार्षिक प्रमाणन के लिए कार्यविधि भी निर्धारित करेंगे और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (7) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि राख की लदाई, उतराई, ढुलाई, भंडारण और निपटान पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल रीति से किया गया है और वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए सभी ऐहित्यात किए गए हैं और इस संबंध में स्थिति की सूचना इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को दी जाएगी।
- (8) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, संस्थापित क्षमता पर आधारित राख के कम से कम 16 घंटों के भंडारण के लिए समर्पित शुष्क फ्लाई राख साइलोस प्रतिष्ठापित करेगा, जिनके पास पृथक पहुंच मार्ग होंगे, जिससे कि राख पहुंचाने के कार्य को सुगम बनाया जा सके। इसकी सूचना संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को उपाबंध में दी जाएगी और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड (सीपीसीबी) या राज्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

- (9) प्रत्येक कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (जिसके अंतर्गत कैप्टिव या सह उत्पादन केन्द्र भी है या दोनों), वास्तविक उपयोगकर्ता (उपयोगकर्ताओं) के हित के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब पोर्टल या मोबाईल फोन एप्प का लिंक उपलब्ध कराकर ताप विद्युत संयंत्र के पास राख की उपलब्धता के वास्तविक आंकड़े प्रदान करेगा।
- (10) राख के 100 प्रतिशत उपयोग का वैधानिक दायित्व, जहां भी लागू हो, विधि में बदलाव के रूप में माना जाएगा।

ख. राख के उपयोग के प्रयोजनार्थ, उत्तरवर्ती उप पैराग्राफ लागू होंगे :-

- (1) ऐसे सभी अभिकरण (सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी), जो सड़क बिछाने, सड़क और फ्लाई ओवर के किनारों, तटीय जिलों में तटरेखा की सुरक्षा संरचनाओं और लिग्नाइट या कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से 300 किमी के भीतर बांधों जैसे निर्माण संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए हैं, इन कार्यकलापों में अनिवार्य रूप से राख का उपयोग करेंगे :

परंतु इसको परियोजना स्थल पर निशुल्क पहुंचाया जाए और परिवहन लागत, ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा वहन की जाए।

परंतु यह और कि ताप विद्युत संयंत्र पारस्परिक सहमत हुई शर्तों के अनुसार राख की लागत और परिवहन के लिए शुल्क ले सकता है उस मामले में जहां ताप विद्युत संयंत्र अन्य माध्यम से राख का निपटान करने में समर्थ है और ये अभिकरण इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और बिना लागत और बिना परिवहन शुल्क के राख उपलब्ध कराने के प्रावधान तभी लागू होंगे यदि उसके लिए ताप विद्युत संयंत्र उस निर्माण अभिकरण को नोटिस जारी करता है।

- (2) उक्त कार्यकलापों में राख का उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय रोड कांग्रेस, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभागों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- (3) तापीय विद्युत संयंत्र की 300 किलोमीटर की परिधि के भीतर अवस्थित सभी खानों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत खुली आवर्त खानों में राख का पृष्ठ भंडारण करना या अधिक भार के ढेरों के साथ राख का मिश्रण करना बाध्यकारी होगा। सभी खान के स्वामी या प्रचालक (चाहे सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हो) कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से तीन सौ किलोमीटर (सड़क द्वारा) के भीतर, महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार ओवर बर्डन के बाह्य निक्षेप खान की बैकफिलिंग अथवा स्टोर्विंग (प्रचालित या छोड़ी गई खानों, जैसा भी मामला हो) के लिए उपयोग की गई सामग्रियों के भार-दर-भार के आधार पर कम से कम 25 प्रतिशत राख को मिश्रित करने के लिए उपाय करेंगे :

परंतु ऐसे तापीय विद्युत केन्द्र निःशुल्क राख प्रदान करके और परिवहन की लागत को वहन करके या पारस्परिक सहमत हुई शर्तों पर लिए गए निर्णय के अनुसार लागत या परिवहन व्यवस्था करके राख की अपेक्षित मात्रा की उपलब्धता को सुकर बनायेंगे और खानों के खाली स्थानों और ढेरों में अधिकभार के साथ राख को मिश्रित करना, सृजित अधिभार के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा और उक्त कार्यकलापों में राख का उपयोग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशक खान सुरक्षा और भारतीय खदान ब्यूरो द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस उप-पैरा के प्रयोजन के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लागत मुक्त राख और निःशुल्क परिवहन के उपबंध केवल तभी लागू होंगे यदि ताप विद्युत संयंत्र इसके लिए खान मालिक को नोटिस देते हैं और अधिभार वाले ढेर के साथ मिश्रित करने और खान में खाली स्थान को भरने के लिए राख के 25 प्रतिशत हिस्से के उपयोग का अधिदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि ताप विद्युत संयंत्र द्वारा खान मालिक को नोटिस न दिया गया हो।